फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/170 बअनवान रत्नलाल बनाम पूनाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री प्रदीप चौधरी उपस्थित अप्रार्थी सं0 1 व 2 वकालतन /असालतन अनुपस्थित अप्रार्थी सं0 3 राज पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.11.2024 के अवलोकन से ज्ञात है कि अप्रार्थीगण को जारी नोटिस वाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थी सं0 1,2 दिनांक 18.11.2024 की नियत पेशीं एवं इसके पश्चात नियत पेशियों पर आज दिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है जिससे अप्रार्थी. सं0 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अपार्थी सं0 1,2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने से वकील प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बिलीया तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा न0 58, 59 ,60 , 60/2,61/1,61/4,67/5,68/1,460 कुल खसरा 9 कुल रकबा 1.62 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों मे दर्ज प्रार्थी के 1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किए जाने का वाद पेश किया गया है। तथा साथ में उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर विभाजन के वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया, है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण रिकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया साबित होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2024 को वाद ग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रकरण में सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से कोई नया तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही है, जिससे वकील प्रार्थी की दलीलो के अनुसार प्रकरण में ताफैसला वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाना न्यायसंगत है अतः वाद अवलोकन पत्रावली व सुनने व वकील प्रार्थी वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलीया तहसील बाली के खसरा न0 58, 59 ,60, 60/2, 61/1, 61/4, 67/5, 68/1, 460 कुल खसरा 9 कुल रकबा 1.62 हैक्टर के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा मुलवाद के निर्णय तक जारी की जाती है। ताफैसला वाद उभय पक्ष मौके की यथास्थिति आदेशानुसार बनाए रखेगें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner